न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 9/2020 (2020/00025)

1. मनोज कुमार मेड़तवाल पुत्र श्री सोहन लाल मेड़तवाल जाति ओसवाल जैन निवासी चन्द्रप्रभु मन्दिर के सामन सदर बाजार केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय केकड़ी जिला अजमेर राज.।

उपस्थितः—

1. श्री राजेश शर्मा—प्रार्थी अधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी—अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णयः—

दिनांक—10.11..2022

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन किया यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी कस्बा केकडी तहसील केकडी की आराजीयात निम्नानुसार है।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
3040—1757	5009 9938/5010	0.0300 0.4600	बारानी 1 बारानी 1
	कुल किता 2	कुल रकबा 0.4900हैक्टर	

प्रार्थी की आराजी खाता संख्या नये 3040 पुराने खाता संख्या पुराने 1757 खसरा नम्बर 5009 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म बारानी 1 व खसरा नम्बर 9938/5010 रकबा 0.46 हैक्टर किस्म बारानी किता 1 कुल 2 रकबा कुल 0.49 हैक्टर जो वाके कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी में स्थित है।उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज है। जिस पर वादी का एक मात्र कब्जा स्वामित्व आधिपत्य वादी का ही चला आ रहा है।वाद वर्णित वादी की आराजीयात पर आने—जाने का कदीमी रास्ता बघेरा जाने वाली रोड़ से उतर कर खसरा नम्बर 9215/5008 के जानिब उत्तरी तरफ से वादी की उक्त वर्णित आराजीयात में आता—जाता रहा है तथा वर्तमान में वादी पूर्व में वादी के विक्रेतागण उक्त वर्णित रास्ते का कदीम से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादी वर्णित रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 9215/5008 राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है। जिसका प्रतिवादी लेण्ड हॉल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। वादी का अपनी खातेदारी की आराजीयात में आने—जाने का एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 9215/5008 की जानिब उत्तरी ओर से होकर चला आ रहा है। अतः वादी की आराजीयात में आने—जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। वादी को अपनी वाद वर्णित आराजीयात में आने—जाने हेतु कदीमी रास्ता जो आराजी खसरा नम्बर 9215/5008 के जानिब उत्तरी मेड़ के लगवा होता हुआ साठ फुट चौड़ाई व बघेरा रोड़ से उतर कर वादी के खेत की लम्बाई का रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किया जावें तथा जिसकी डी.एल.सी. दर के अनुसार रास्ते की भूमि की राशि वादी द्वारा राज्य सरकार को जमा कराने हेतु तैयार एवं तत्पर है। इसलिए रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अलग तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जर्ये तहसीलदार केकडी द्वारा जवाब/मौका रिपोर्ट उनके पत्र कमांक/राजस्व/2022/1766 दिनांक 27.9.2022 पेश कि जो निम्नानुसार हैः–

1. यह कि कस्बा केकड़ी की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076 के खाता सं. 3040 के ख.नं. 5009/0.03, 9938/500/0.46 पर मनोज कुमार मेड़तवाल पुत्र सोहन लाल मेड़तवाल जाति ओसवाल जैन निवासी केकड़ी, खातेदार दर्ज होकर नामा. सं. 5235/22.7.22 जरिये दान पत्र से ख. नं. 5009/0.03, 10300/9948/0.42 किस्म बा. 1 मेघा मेड़तवाल पुत्री मनोज कुमार मेड़तवाल जाति ओसवाल जैन सा. चन्द्रप्रभु मंदिर के सामने केकड़ी खातेदार अंकन हुआ एवं शेष ख. नं. 10301/9938/0.04 मनोज कुमार मेड़तवाल पुत्र सोहन लाल मेड़तवाल कौम ओसवाल जैन नि. केकड़ी के नाम रहा है तथा मौके पर विवाद है।
2. यह है कि वादी द्वारा चाहा गया रास्ता के खाता . 2982 खसरा सं. 9215/5008 राजकीय कार्यालयों व आवास हेतु आरक्षित दर्ज होकर नामा. सं. 5252/2.8.22 से नवीन ख. सं. 10270/9215/0.09, 10272/9215/1.70 नगर पालिका केकड़ी के नाम दर्ज हुआ है।
3. यह है कि नगर पालिका केकड़ी द्वारा गाड़िया लौहार आवास योजना के तहत ख. नं. 9215/5008 में से भूमि चाहने से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश के फलस्वरूप ख. नं. 10270/9215 नगर पालिका को हस्तान्तरण हुआ है।
4. यह है कि प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ख. नं. 10272/9215 पर नगर पालिका केकड़ी द्वारा गाड़िया लौहार हेतु आवासीय योजना प्रस्ताविक की है। अतः वादी नगर पालिका केकड़ी से ही रास्ता प्राप्त कर सकता है।

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नंबर खसरा नंबर 5009, 9938/500 में आने जाने हेतु 9215/5008 राजकीय कार्यालयों व आवास हेतु आरक्षित दर्ज होकर नामा. संख्या 5252/2.8.2022 से नवीन खसरा संख्या 10270/9215/0.09, 10272/9215/1.70 नगर पालिका केकडी के नाम दर्ज है प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 10272/9215 पर नगर पालिका केकडी से ही रास्ता प्राप्त कर सकता है अतः प्राप्त रिपोर्ट अनुसार विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

–:आदेशः–

प्रार्थी की आराजी कस्बा केकडी के खसरा संख्या 5009 व 9938/500 में आने जाने हेतु प्रार्थी खसरा नंबर 9215/5008 राजकीय कार्यालयों व आवास हेतु आरक्षित दर्ज होकर नामा. संख्या 5252 दिनांक 2.8.2022 से नवीन खसरा संख्या 10270/9215/0.09, 10272/9215/1.70 नगर पालिका केकडी के नाम दर्ज है प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 10272/9215 पर नगर पालिका केकडी से ही रास्ता प्राप्त किया जा सकता है प्रार्थी नगरपालिका केकडी से रास्ता लेने हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Scanned with OKEN Scanner